कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना।
कोटेशन आमंत्रण सूचना

कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के अन्तर्गत निबंधित बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना के प्रवेश टिकट एवं पार्किंग टिकट के मुद्रण एवं आपूर्ति करने हेतु निम्नलिखित विशिष्टताओं, शर्तो एवं उपबंधों के अधीन अनुभवी एवं योग्य मुद्रकों/आपूर्तिकर्ताओं से 10.11.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से कोटेशन सीलबंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें कोटेशनदाता अगर चाहें तो उपस्थित रह सकते है।

क) प्रवेश टिकट – 500000 Piece (3 Categories) – Paper – Art Paper 150gsm, Ticket Size- 8.25x2.75, Multi Color Print in Front Side and Single-Color Print in Back Side + Fabrication with machine numbering and book 50 leaf.

ख) पार्किंग टिकट – 50000 Piece (2 Categories) – Paper – Orient Paper 65-70gsm, Ticket Size- 7.25x2.60, Multi Color Print in front side + Fabrication with hand numbering and book 100 leaf

शर्त एवं उपबन्धः–

1- कोटेशनदाता का प्रेस वैट/वाणिज्य कर विभाग में निबंधित होना चाहिए।
2- कोटेशनदाता का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षो का औसत कम से कम ₹ 20.00 (बीस लाख) होना चाहिए।
3- प्रकाशन सामग्रियों की संख्या मे कमी/वृद्धि की जा सकती हैं।
4- तीन वर्षो का आयकर प्रमात्र पत्र संलग्न करना होगा।

तकनीकी कोटेशन के साथ निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा।

- कोटेशन के साथ EMD के रूप में ₹ 10,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा, जो बिहार संग्रहालय समिति के नाम से देय एवं पटना मे भुगतेय हो।
- पिछले तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन, आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
- वैट वाणिज्य कर विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
- कोटेशनदाता का प्रेस किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो, तद्संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- जमा किए गये सभी कागजात स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- तकनीकी कोटेशन के साथ जमा किए गए कागजातों–प्रमाणों के भौतिक–स्थल सत्यापन करने के लिए बिहार संग्रहालय स्वतंत्र होगा।
- मुद्रित होनेवाले टिकटों का पूर्ण रूप से कान्सेप्ट डिजाइनिंग, फोटो संपादन, ले–आउट, रंगिन प्रुफिंग (कवर एवं टेक्स्ट भाग) का अलग–अलग स्तर पर कोटेशनदाता को करना है।
- मुद्रित होनेवाले टिकट पूर्ण रूप से डिजाइनिंग, प्रूफ शोधन करते हुए टिकट का अनुमोदन कराते हुए छपाई एवं बँधाई पूर्ण करते हुए बिहार संग्रहालय के निदेशानुसार संबंधित को उपलब्ध करा देना होगा।
- मुद्रित की जाने वाली सामग्री यथा प्रवेश टिकट एवं पार्किंग टिकट का नमूना बिहार संग्रहालय से अपने लागत पर ससमय प्राप्त कर लेना होगा तथा कोटेशन के टिकट मुद्रण के लिये उपयोग किये जाने वाले कागज का नमूना संलग्न करना होगा।
- उपर्युक्त सभी शर्तो का उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नही किया जाएगा।
- दोषपूर्ण छपाई/बाइण्डिंग अथवा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाये जाने, मुद्रित सामग्री ससमय आपूर्ति नही करने की स्थिति में भुगतेय राशि से बिना बताये कटौती की जाएगी। इस संबंध में बिहार संग्रहालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- सभी अथवा किसी कोटेशन को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार निदेशक, बिहार संग्रहालय को सुरक्षित रहेगा।
- सभी कोटेशन निदेशक, बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना – 800001 को निर्धारित तिथि और समय पर पहुँच जानी चाहिए।

(यूसुफ) 26/10/18
निदेशक, बिहार संग्रहालय।

ज्ञापांक– बि० सं०/टिकट/89/2017/ 919 पटना, दिनांक 26-10/2018
प्रतिलिपी – निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(यूसुफ) 25/10/18
निदेशक, बिहार संग्रहालय।